प्रेस विज्ञप्ति
13.08.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), बैंगलोर क्षेत्रीय कार्यालय ने 09/10.08.2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत बैंगलोर और धारवाड़ में 12 परिसरों में तलाशी अभियान चलाया है। यह कार्रवाई कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी), धारवाड़ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा हुबली हवाई अड्डा, आईआईटी धारवाड़ आदि परियोजनाओं के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में की गई धोखाधड़ी के संबंध में की गई है। केआईएडीबी मुख्यालय, बैंगलोर सहित बैंगलोर में 07 परिसरों और केआईएडीबी क्षेत्रीय कार्यालय, धारवाड़ सहित धारवाड़-हुबली में 05 परिसरों में तलाशी ली गई।

ईडी ने विद्यागिरी पुलिस स्टेशन, धारवाड़ द्वारा आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत वी डी सज्जन (केआईएडीबी धारवाड़ क्षेत्रीय कार्यालय के पूर्व विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी) और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। इसके अलावा, उपरोक्त एफआईआर को सीआईडी, धारवाड़ को स्थानांतरित कर दिया गया और एफआईआर के संबंध में आरोप पत्र भी सीआईडी, धारवाड़ द्वारा दायर किया गया है। एफआईआर और चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि वी डी सज्जन, एसएलएओ, केआईएडीबी धारवाड़ और केआईएडीबी, धारवाड़ के अन्य अधिकारियों ने भूमि दलालों/अन्य आरोपियों के साथ साजिश रची और भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के बहाने सात व्यक्तियों को 19.99 करोड़ रुपये (लगभग) की राशि मंजूर की। हालांकि, इन व्यक्तियों को पहले भी मुआवजा दिया जा चुका था। इस प्रकार, सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।

तलाशी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि उपरोक्त तौर-तरीकों का उपयोग करके कुल 72.55 करोड़ रुपये निकाले गए हैं। तलाशी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों से पता चलता है कि उपरोक्त तौर-तरीके का उपयोग मामले के मुख्य आरोपी वीडी सज्जन के कार्यकाल से पहले भी किया जा रहा था। मूल भुगतान रजिस्टर, भूमि अधिग्रहण के लिए केआईएडीबी द्वारा जारी अंतिम अधिसूचना, फर्जी भूमि मालिकों के नाम पर तैयार आरटीजीएस भुगतान फॉर्म आदि के रूप में इस्तेमाल की गई कार्यप्रणाली के साक्ष्य एकत्र किए गए हैं।

उपरोक्त के अलावा, यह पता चला कि "मलकी भुगतान" यानी अधिग्रहित भूमि में पेड़ों, संरचनाओं आदि के लिए किए गए भुगतान के माध्यम से पैसे की हेराफेरी की जा रही थी।

09.08.2024 और 10.08.2024 को की गई तलाशी के परिणामस्वरूप विभिन्न अपराध संकेती इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल साक्ष्य और रिकॉर्ड/दस्तावेज जब्त किए गए। तलाशी के परिणामस्वरूप 1.50 करोड़ रुपये नकद बरामद और जब्त भी हुए। तलाशी के परिणामस्वरूप मामले में मुख्य आरोपी के नाम पर 55 लाख रुपये की बैंक जमा राशि को भी फ्रीज कर दिया गया था। इसके अलावा मुख्य आरोपी द्वारा अर्जित चल, अचल संपत्तियों का ब्यौरा जुटाया गया है।

आगे की जांच जारी है।